

कार्यालय कलेक्टर, जिला-सूरजपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

प्रारूप अधिसूचना

सूरजपुर, दिनांक 20/10/2016

रा.प्र.क्र. 04/अ-82/2013-14 :: चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित भूमि की रिंग रोड निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के तहत यह घोषित किया जाता है, कि इस भूमि का उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

--:: अनुसूची ::--

भूमि का वर्णन :-

1. जिला : सूरजपुर
2. तहसील : सूरजपुर
3. ग्राम/नगर : महगवां
4. भूमि का क्षेत्रफल : 2.583

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
942/4	0.02
943/4	0.04
943/5	0.09
1071/3	0.32
945	0.10
962/1	0.12
963	0.06
964	0.04
1086	0.13
965/1	0.02
965/2	0.04
965/3	0.06
968	0.04
966/1	0.11
967	0.04
969	0.06
970	0.05
971	0.04
973	0.10
972	0.08
965/4	0.04

1078/2	0.12
1079/1	0.08
1079/2	0.12
1085	0.17
1087	0.13
314/19	0.05
311/5	0.05
310/4	0.05
311/4	0.03
1080	0.12
314/17	0.03
314/18	0.033
योग	2.583 हे.

2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सूरजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।
3. उक्त भूमि अर्जन में किसी भी व्यक्ति का विस्थापन निहित नहीं है।

भू-अर्जन अधिकारी
सूरजपुर, जिला-सूरजपुर

छत्तीसगढ़ राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(जी.आर.चुरेन्द्र)

कलेक्टर,

जिला-सूरजपुर

एवं पदेन संयुक्त सचिव

छ.ग. शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग